राजस्थान सरकार

राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई –डी.पी.आई.पी.

(तृतीय तल , बी ब्लाक , योजना भवन जयपुर, दुरभाष –2384895 फैक्स –5104014)

प. –(66) ग्रा.वि./डी.पी.आई.पी./2002 जयपुर दिनांक 05.04.2003

जिला परियोजना प्रबंधक
जिला परियोजना प्रबंधन इकाई
जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना
बारां/चूरू/दौसा/धौलपुर/झालावाड़/राजसमन्द/टोंक ।

विषयः– परियोजना के सुचारु संचालन हेतु पूर्व में लिये गये निर्णयों की विवेचना।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उप परियोजनाओं के सुचारू संचालन हेतु पूर्व में लिये गये निर्णयों का यहां पर पुनः विवेचन दिया जा रहा है। आप द्वारा इन निर्णयों को इसी आशय के साथ क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है ताकि परियोजना के कुशल संचालन को सुनिश्चित किया जा सके।

1. परिपत्र प. –(66) ग्रा.वि./डी.पी.आई.पी./2002 दिनांक 08.01.2003 के बिन्दु संख्या 2 पृष्ठ–3 के अनुसार, सामुदायिक ढांचागत कार्यों के लिए 40:40:20 के अनुपात में डी.पी.आई.पी. अंशदान जारी किया जा सकता है। चूंकि वर्तमान में डी.पी.आई.पी. कार्यों को अकाल राहत कार्यों के साथ डवटेल किया जा रहा है एवं ग्राम पंचायतें इस हेतु अपने प्रस्ताव डी.पी.आई.पी. को भिजवा रही हैं। ग्राम पंचायत द्वारा सामुदायिक ढांचागत कार्यों को करवाने की स्थति में उचित होगा कि प्रथम किश्त(अंशदान का 40%) एकमुश्त एवं द्वितीय किश्त(अंशदान का 40%) प्रथम किश्त के 25% कार्य पूर्ण हो जाने पर जारी की जा सकती हैं। 100% कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र (UC) प्राप्त हो जाने पर ही तृतीय एवं अंतिम किश्त(अंशदान का 20%) जारी करना उचित होगा।

इस सम्बन्ध में जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई को राशि हस्तान्तरण आदेश के साथ बैंक को प्रथम किस्त की राशि जिसका समान रूचि समूह/ ग्राम पंचायत(ड्वटेल की स्थिति में) द्वारा उपयोग किया जाना है का उल्लेख करना होगा, साथ ही बैंक को उत्तरवर्ती किस्तों की राशि जारी करने के सम्बन्ध में भी सूचित करना होगा कि जिला परियोजना प्रबन्धक की लिखित सहमति के बिना किस्तों को समान रूचि समूह/ग्राम पंचायत उपयोग नहीं कर सकेगा। जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई से लिखित पत्र बैंक में आने के बाद ही समान रूचि समूह/ग्राम पंचायत अन्य किस्तों की राशि का उपयोग कर सकेगा। इस सम्बन्ध में जिला परियोजना प्रबन्धक बैंकों द्वारा सुझाई गई प्रक्रियुसार कार्य कर सकते हैं।

2. उप परियोजनाओं के कियान्वयन से पहले ये आवश्यक है कि सी.आई.जी./ग्राम पंचायत के साथ उप–परियोजना से सम्बन्धित आपसी समझ का ज्ञापन(एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर कर लिए जाये ताकि इस सम्बन्ध में आगे चल कर किसी भी प्रकार की भ्रंाति न उत्पन्न होने पाये। उक्त एम.ओ.यू. मैन्यूल जुलाई–2002 के प्रपत्र पी–6 के अनुसार बनाया जाना चाहिये किन्तु उप–परियोजना की स्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार ऐसे परिवर्तन किये जा सकते हैं जिनसे प्रपत्र पी–6 का मूल आशय बना रहें। अतः आप उप–परियोजनाओं में एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर सुनिश्चित करें।
3. ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य निष्पादन की स्थिति में डी.पी.आई.पी. की राशि एक स्वतंत्र बैंक खाते में ही हस्तान्तरित की जाये जिससे इस खाते पर डी.पी.एम.यू. का पूर्ण नियन्त्रण रहे।

(रेली सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं अवलोकनार्थ :–

जिला कलेक्टर बारां/चूरू/दौसा/धौलपुर/झालावाड़/राजसमन्द/टोंक

(वी.के. शर्मा)

महा प्रबन्धक, परियोजना आंकलन